



2026:AHC:62423

## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन पत्र संख्या - 9847 वर्ष 2026

राम दास

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : महेनम हारून, प्रथम गौर, राजेश कुमार यादव

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

### न्यायालय संख्या - 64

#### माननीय न्यायमूर्ति विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति

1. श्री यश टंडन एवं श्री राजेश कुमार, अधिवक्तागण ने सूचनाकर्ता की ओर से अपना परचा दाखिल किया है। वही अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री वी.पी. त्रिपाठी, विद्वान अपर महाधिवक्ता(ए.जी.ए.), राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित, तथा श्री यश टंडन, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, को सुना गया।
3. बीएनएसएस की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 428 वर्ष 2025, धारा 105, 115(2), 352, 351(3), 329(3), 191(2), 191(3), 190

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बीएनएस, थाना जुनावई, जिला सम्भल में विचारण के लम्बित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

4. आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक को वर्तमान मामले में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। घटना कथित रूप से दिनांक 06.11.2025 को घटित हुई। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 15.11.2025 को दर्ज कराई गई। यह विलम्ब अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक है। अन्वेषण के दौरान, धारा 103(1) बीएनएस हटाई गई तथा धारा 105, 191(2), 191(3) और 190 बीएनएस जोड़ी गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक सहित ग्यारह नामजद अभियुक्तों और 15-20 अज्ञात व्यक्तियों पर सूचनाकर्ता के भाई पर हमला करने का आरोप है। सूचनाकर्ता का भाई दिनांक 14.11.2025 को चोटों के कारण मर गया। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक को छः चोटें आईं। चोट संख्या 1 और 2 सिर पर थीं, जबकि अन्य चोटें दाहिनी जाँघ, उदर के बायें भाग, बायीं भुजा और छाती के दाहिने भाग पर थीं। चिकित्सक के मत में मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व सिर की चोटों से कोमा और शॉक था। यह आगे तर्क किया गया है कि आवेदक को एक अस्पष्ट और सामान्य भूमिका दी गई है। आवेदक को उस प्रमुख अपराधी के रूप में नहीं नामजद किया गया जिसने सिर में चोटें पहुँचाईं। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टि करने वाला साक्ष्य नहीं है। आवेदक के आपराधिक इतिहास को शपथपत्र के अनुच्छेद 22 और 23 में स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 20.11.2025 से जेल में है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाए तो वह उक्त स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर महाधिवक्ता(ए.जी.ए.)और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु वे उपर्युक्त निवेदनों को अभिलेख से संतोषजनक ढंग से खण्डित नहीं कर सके।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात्, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया पाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक सहित ग्यारह नामजद अभियुक्तों और 15-20 अज्ञात व्यक्तियों पर सूचनाकर्ता के भाई पर हमला करने का आरोप है। सूचनाकर्ता का भाई दिनांक 14.11.2025 को

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



चोटों के कारण मर गया। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार मृतक को छः चोटें आईं। चोट संख्या 1 और 2 सिर पर थीं, जबकि अन्य चोटें दाहिनी जाँघ, उदर के बायें भाग, बायीं भुजा और छाती के दाहिने भाग पर थीं। चिकित्सक के मत में मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व सिर की चोटों से कोमा और शॉक था। आवेदक को एक अस्पष्ट और सामान्य भूमिका दी गई है। आवेदक को उस प्रमुख अपराधी के रूप में नहीं नामजद किया गया जिसने सिर में चोटें पहुँचाईं। इस स्तर पर, आवेदक को अपराध से जोड़ने के लिए कोई पुष्टि करने वाला साक्ष्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, आवेदक चार माह से अधिक समय से निरुद्ध रहा है और आरोप-पत्र दाखिल होने के बाद विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई आशा नहीं है, विशेषकर जब राज्य द्वारा ऐसी कोई उचित आशंका सामने नहीं लाई गई है कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए तो वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा या विचारण में विलम्ब करेगा या साक्षियों को भयभीत करेगा, मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है।

7. आवेदक - राम दास, जो उपर्युक्त मामले में संलिप्त है, को व्यक्तिगत मुचलका और उसी धनराशि की दो जमानतें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, इस शर्त के अधीन कि वह :-

- (i) वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा;
- (ii) वह अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा; और,
- (iii) वह अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

(विवेक वर्मा, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

एस.के.टी./-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।